राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, भीलवाड़ा

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 75/2022 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री प्यारचन्द बलाई पुत्र प्रताप बलाई निवासी जालरिया, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा ––अपीलार्थी	**बनाम**	1. सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द, जिला भीलवाड़ा ––प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :– प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।

निर्णय

दिनांक : 04.10 .2022

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीदार, आसीन्द के विरूद्ध दिनांक 07.09.2022 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क राशि 10/– रूपये के पोस्टल ऑर्डर संख्या 54 एफ 902298 के साथ एक आवेदन दिनांक 01.08.2022 को सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, आसीन्द को प्रेषित किया, किन्तु सूचना पाप्त नहीं हुई।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, आसीन्द जिला भीलवाड़ा द्वारा पत्रांक 2573 दिनांक 27.09.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं –

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गयी सूचना/जवाब कार्यालय तहसीलदार, आसीन्द के पत्रांक 2436 दिनांक 13.09.2022 से अपीलार्थी/प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करा दी गयी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को सूचना प्रेषित कर दिये जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 04.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा